न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या :– 13/2024

उनवान

1. अनोपी पत्नी छोटू
2. नौसर देवी पुत्री छोटू जाति गुर्जर निवासी नि0 ग्राम कानपुरा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. गोकल वेग पुत्र सालम वेग,
2. महमूदा पत्नी अमीर वेग, समस्त जाति मुसलमान नि0 जिलावडा, नसीराबाद,
3. कालू पुत्र चन्द्रा,
4. छगनी पत्नी चन्द्रा,
5. गुलाब पुत्री चन्द्रा,
6. नाथी पत्नी मोहब्बता,
7. रंगा पुत्री फूला,
8. रघुनाथ पुत्र मोहब्बता समस्त जाति जाट नि0 ग्राम कानपुरा, नसीराबाद,
9. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

——— अप्रार्थीगण :– 1 से 8 अनुपस्थित
9 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0 राज0 अधि0 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 15/04/24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानुपरा तहसील नसीराबाद के आराजी खाता न0 1235/676 खसरा नम्बर 6480/626 रकबा 0.37 व 6282/635 रकबा 0.08 की आराजी जमाबंदी सम्वत् 2072–75 के अनुसार आवेदनकर्तागण की खातेदारी है। जिस पर प्रार्थीगण काविज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी का सीमाज्ञान प्रार्थीगण द्वारा कराया गया। किन्तु अप्रार्थीगण ने सीमान पर ऐतराज करते हुये कार्यवाही नही करने दी। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 प्रार्थीगण के खोत की मेड पर दखल कारित कर भूमि हडडपने पर आमादा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी के आदेश पारित करावे।

अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 बावजुद तामीली उपस्थित नही होने से विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया की प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्व करे।
वहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज0 पैरोकार की वहस पर मनन किया गया। आराजी खाता न0 1235/676 खसरा नम्बर 6480/626 रकबा 0.37 व 6282/635 रकबा 0.08 की आराजी जमावंदी सम्वत् 2072–75 के अनुसार आवेदनकर्तागण की खातेदारी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा अनुसार दिनांक 02.06.23 को उक्त आराजी का सीमाज्ञान किया गया। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण व उनके मध्य खेत की सीमा का विवाद है एवं अप्रार्थीगण उनकी सीमा पर विवाद करने पर आमादा है। पत्थरगढी करने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खेतो की सीमा की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी एवं विवाद समाप्त होगा। अप्रार्थीगण प्रकरण के खण्डन हेतु उपस्थित नही हुये है। उनके द्वारा आराजी मुतनाजा के पत्थरगढी के समय अपनी आपत्ति पेश की जा सकती है। पत्थरगढी से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव भी नही पडेगा।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर

अतः ग्राम कानुपरा तहसील नसीराबाद के आराजी खाता न0 1235/676 खसरा नम्बर 6480/626 रकबा 0.37 व 6282/635 रकबा 0.08 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आवेदनकर्ता व अप्रार्थीगण/पडौसी खातेदारों की विधिवत उपस्थिति में उक्त आराजी की पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद